हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

तेरहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या : 122

बुधवार, 18 नवम्बर, 2026/27 कार्तिक, 1948(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

11:00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

व्यवस्था का प्रश्न

बैठक की कार्यवाही आरम्भ होते ही माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियम-67 के अंतर्गत पिछले कल विधान सभा का सत्र आरम्भ होते ही रेजोल्यूशन मूव किया गया था और प्रश्नकाल नहीं हुआ था। प्रश्नकाल को स्थगित रखा गया था। आज भी प्रश्नकाल नहीं होगा क्योंकि there can not be two set of rules. कल प्रश्नकाल और कार्यवाही की अन्य सूची को स्थगित करके नियम-67 के अंतर्गत चर्चा की गई थी। इसलिए अनुरोध है कि आज सर्वप्रथम नियम-67 के अंतर्गत चर्चा पूरी कर लें और इसके बाद कार्यसूची के अन्य विषय ले लिए जाएं।

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय इस माननीय सदन की भावना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। समय-समय पर अलग-अलग तरह के फैसले हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि सदन में नियमों की एक स्थापित परंपरा होनी चाहिए और उसी के अनुसार कार्यवाही चलानी चाहिए जो अधिक उचित रहेगा। प्रश्नकाल भी महत्वपूर्ण है और इसी दृष्टि से पहले भी प्रश्नकाल चलता रहा और नियम-67 के अंतर्गत भी चर्चा चलती रही। लेकिन अचानक सत्तापक्ष की अनुकूलता और सुविधा के अनुसार सदन की कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती। सदन में कार्य करने की दिशा में एक स्थायी व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। बार-बार व्यवस्था में बदलाव करना उचित नहीं है।

इस पर माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि अध्यक्ष महोदय कानून के ज्ञाता हैं। जब सदन की सहमति होती है तो प्रश्नकाल शुरू होता है। पहले भी जब सदन की सहमति बनी थी तब प्रश्नकाल शुरू हुआ था। यदि प्रश्नकाल शुरू करना है तो इस समय

सत्तापक्ष की इसमें सहमति नहीं है। यदि एक बात पर सहमति बन सकती है तो वह यह है कि यदि भारतीय जनता पार्टी काम रोको प्रस्ताव वापस ले लेती है तो प्रश्नकाल भी शुरू हो सकता है क्योंकि काम रोको प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया गया है। उन्हें खुशी है कि उनकी सरकार के शासनकाल में विपक्ष द्वारा जितने भी काम रोको प्रस्ताव लाए गए हैं उन सभी को सरकार ने स्वीकार किया है। यह विधान सभा के इतिहास में एक उदाहरण बना है। जब विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव लाया है तो कम-से-कम तथ्यों को सामने लाएं और दस्तावेज भी प्रस्तुत करें, सरकार उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था

"इससे पहले भी जो कुछ किया गया वह आप सभी की सहमति और हाउस को कॉन्फिडेंस में लेकर ही किया गया था। हमारे जो रूल्स और प्रोसीजर हैं उनके मुताबिक आज का बिजनेस लगा दिया गया है but this is again the prerogative of this House, if any change is required in the Business, can be done with the consensus. यदि आप सभी की सहमति है तो we continue with the discussion or let us finish it क्योंकि इस विषय पर बहुत चर्चा हो चुकी है। अनुरोध है कि मैं पहले नियम-67 के विषय को चर्चा हेतु ले रहा हूं but try to be very brief and these are the corruption allegations against the Government. श्री जय राम ठाकुर जी ने अपने भाषण में कई बातें पॉइंट आउट की हैं जिनका जवाब मुख्य मंत्री देंगे। बाकी माननीय सदस्यों से भी आग्रह है कि वे इसे बजट स्पीच या गवर्नर एड्रेस स्पीच न बनाएं। निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित इशूज रूल-67 का पार्ट नहीं है। You have to be very specific about the corruption charges against the Government or the respective Ministers so that the Government is ultimately in a position to respond to all these issues. Now, we will begin the discussion under Rule-67. We are deferring the remaining business for the time being. Let us see how the situation unfolds by this evening. Thereafter, I will come back to the House."

1. **नियम-67 के अन्तर्गत दिनांक 17.11.2026 को प्रस्तुत निम्न स्थगन प्रस्ताव पर आगे चर्चा:**

   "आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार के शासन में बिकता हिमाचल - 'Himachal on sale' पर यह सदन अविलंभ चर्चा करे।"

निम्नलिखित ने प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर आगे चर्चा में भाग लिया:-

1. श्री विनोद कुमार, माननीय सदस्य

लोक निर्माण विभाग के संबंध में उठाए गए मुद्दे पर **माननीय मुख्य मंत्री** ने कहा कि माननीय सदस्य यूनिवर्सल बोल रहे हैं कि लोक निर्माण विभाग में ऐसा हो गया। ये कह रहे हैं कि विधायकों के थ्रू टोकन या पैसे दिए जा रहे हैं। बिल पास करवाने के लिए पैसा देना पड़ता है। वे माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि ट्रेजरी को रेगुलेट करने के लिए कई बार लास्ट के कुछ दिनों में पेमेंट को रोका जाता है लेकिन उसके बाद अगले माह की 5 तारीख के बाद फिर से रेगुलेट कर दिया जाता है। इसलिए ऐसे ही यूनिवर्सल कह देना, ठीक नहीं है। तथ्यों के साथ अगर माननीय सदस्य अपनी बात रखेंगे तो अच्छा होगा अन्यथा झूठ बोलने के लिए इनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि माननीय सदस्य और प्रतिपक्ष के नेता यह बात भूल जाते हैं कि इसी सदन में पेखूबेला से संबंधित दस्तावेज रखे गए हैं। जिस कंपनी के संबंध में 140 करोड़ रुपये खर्च होने की बात कही जा रही है उससे संबंधित दस्तावेज भी सदन के पटल पर रखे गए हैं। इसलिए बार-बार इस प्रकार की बातें करके सनसनी फैलाना उचित नहीं है। पेखूबेला मामले में भी यदि कोई दोषी पाया जाता है तो Government will take action. भ्रष्टाचार के मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा सरकार उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी।

माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था

"मेरा आप सभी से अनुरोध है कि विपक्ष स्पैसिफिक एलिगेशन लगाए। यदि आरोप लगा रहे हैं और आपके पास कोई दस्तावेज, रिकॉर्ड, ऑडियो या वीडियो नहीं है, जिसमें किसी माननीय मंत्री का नाम हो तो you can also file an affidavit that I am saying this on oath and that will be part of the record. That is subject to further inquiry. Please let us not go for a sweeping statement."

माननीय मुख्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि 01 अप्रैल, 2023 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश पर 76,830 करोड़ रुपये का कर्ज छोड़कर गई थी। जब कांग्रेस सरकार ने पहला बजट प्रस्तुत किया तो प्रदेश पर 76,830 करोड़ रुपये का कर्ज था।

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जब वे मुख्य मंत्री बने थे तो प्रदेश के ऊपर लगभग 48,000 करोड़ रुपये का ऋण था और जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो यह ऋण 69,600 करोड़ रुपये हो गया था। 11 दिसंबर को श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी मुख्य मंत्री बने थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल के अंत तक प्रदेश पर 69,600 करोड़ रुपये का ऋण था तथा लोन लिमिट 6,000 करोड़ रुपये थी जिसे उन्होंने लिया नहीं था क्योंकि इसकी आवश्यकता भी महसूस नहीं हो रही थी। इसके बाद जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो इन्होंने 11 दिसम्बर, 2022 से 31 मार्च 2023 के पीरियड में 6,000 करोड़ रुपये का ऋण लिया और उसे हमारे फाइनेंशियल ईयर के खाते में डाला गया जबकि उस समय भाजपा सरकार एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। गवर्नमेंट में ऋण लेने की सबसे कम दर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार के समय रही है जो वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक सत्ता में रही।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि बहुत सारी बातें इस माननीय सदन के रिकॉर्ड पर पहले ही आ चुकी हैं और विस्तृत रूप से डिस्कस भी हो चुकी हैं। आप सभी सहयोग करें otherwise I have to go for a final ruling. Then I will likely to expunge whatever is out of record.

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने कहा कि इस माननीय सदन की यह व्यवस्था रही है कि यदि विपक्ष की ओर से किसी विभाग के ऊपर कोई आरोप लगाए जाते हैं तो उस समय उसका जवाब संबंधित मंत्री द्वारा दिया जाता है और माननीय मुख्य मंत्री द्वारा अंत में जवाब दिया जाता है। लेकिन यहां पर तो हर बात का जवाब माननीय मुख्य मंत्री द्वारा ही दिया जा रहा है।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"The issues which have been raised are related to the Hon'ble Chief Minister. So obviously he has to reply to them and set the record straight"

2. श्री राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मंत्री

(12.21 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न, माननीय सभापति पदासीन हुए।)

3. श्री विपिन सिंह परमार, माननीय सदस्य

(1.02 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।)

(भोजनावकाश के उपरांत 2.05 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक माननीय सभापति श्री संजय रत्न की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई।)

4. श्री जगत सिंह नेगी, माननीय राजस्व मंत्री

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने "आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार के शासन में बिकता हिमाचल - 'Himachal on sale' विषय पर स्थगन प्रस्ताव दिया था जबकि माननीय राजस्व मंत्री, जोकि वरिष्ठ मंत्री हैं, ने अपने वक्तव्य के दौरान इस विषय से हटकर बातें रखी हैं हालांकि विपक्ष को उम्मीद थी कि वे विषय के ऊपर बोलेंगे। तत्पश्चात नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए केंद्र सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपये दिए जाने थे। पूरे देश में केवल 3 मेडिकल डिवाइस पार्क स्वीकृत किए गए थे और उनमें से एक हिमाचल प्रदेश को मिला था। लेकिन सत्तापक्ष ने कहा कि वे यहां मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित नहीं करेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार से जो 30 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे उन्हें वापस कर दिया गया। बाद में जो जमीन मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए दी गई थी उसकी प्लॉटिंग की गई और उसको बेचा गया। किस रेट पर उसको बेच रहे हैं उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कस्टमाइज़ पैकेज नियम पॉलिसी के मुताबिक नहीं हैं, गलत दिया है तो सरकार उसको रद्द कर सकती थी लेकिन उसे रद्द नहीं किया गया।

माननीय उद्योग मंत्री ने स्पष्टीकरण देते हुए मान्य सदन को अवगत करवाया कि मेडिकल डिवाइस पार्क में अभी तक एक भी प्लॉट नहीं दिया गया है। प्लॉट आबंटित करने के लिए पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट होगी और कितनी इंप्लॉयमेंट होगी तथा कितना रेवेन्यू प्राप्त होगा। इसे एक रुपये में नहीं दिया जाएगा। इसे मार्केट रेट पर दिया जाएगा, नहीं तो इसे ऑक्शन के आधार पर आबंटित किया जाएगा। यदि विपक्ष को लगता है कि यह प्रोसिजर अपना लेना चाहिए तो वह प्रोसीजर

बता दीजिए, उसे अपना लिया जाएगा। लेकिन वह प्रोसिजर ऐसा होना चाहिए जिसमें पारदर्शिता हो।

5. श्री रणधीर शर्मा, माननीय सदस्य

माननीय राजस्व मंत्री ने माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कहा कि वे एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसे धारा-118 के बारे में देते हैं। एक भी ऐसा केस माननीय सदस्य नहीं बता पाए जहां पर कोई भ्रष्टाचार हुआ है। कोई स्पैसिफिक केस का ज़िक्र नहीं किया है। सरकार जो अमेंडमेंट्स ला रही है उसमें धारा-118 की स्पिरिट को डाइल्यूट नहीं किया गया। इसके ऊपर सिलैक्ट कमेटी की बैठक में भी चर्चा हुई है इसलिए स्वीपिंग स्टेटमैंट देने से इन्हें बचना चाहिए क्योंकि इससे लोगों में भ्रम पैदा होता है।

6. श्री अनिरूद्ध सिंह, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री
7. श्री जीत राम कटवाल, माननीय सदस्य
8. कुमारी अनुराधा राणा, माननीय सदस्य

(4.20 बजे अपराह्न श्री आशीष बुटेल, माननीय सभापति पदासीन हुए।)

9. श्री प्रकाश राणा, माननीय सदस्य

(4.44 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न, माननीय सभापति पदासीन हुए।)

10. श्री केवल सिंह पठानिया, उप मुख्य सचेतक (क्रमागत)

माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा ने मान्य सदन को सूचित किया कि उन्हें एक दुखद समाचार मिला है कि निर्वाचन क्षेत्र जोगिन्द्रनगर की सब-तहसील लड़भड़ोल में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें सभी छ: बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई है। वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति दे। उन्होंने सभापति महोदय से आग्रह किया कि एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दी जाए कि उसमें जो कुछ भी करने की जरूरत है उसे तुरंत किया जाए।

इस पर सभापति महोदय ने कहा कि माननीय सदस्य इस विषय पर कल बोल लें क्योंकि एक्सीडेंट में सभी छ: बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है।

4.53 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 19 नवम्बर, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।

*****